

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 650 सन 2020

अनवान :-

1. सीमादेवी पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी जनानीया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्रादेवी पत्नी सुरतसिंह जाति जाट निवासी जनानीया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीयान

बनाम

1. ओमप्रकाश 2 राजेन्द्र 3. हरिसिंह पि0 सुरजाराम जाति जाट साकिन जनानीया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 ,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपरिथत : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज


निर्णय दिनांक :- 28/12/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 140/138 के कुल खसरा 24 की 4. 8050हैक्टर भूमि में से वादीया संख्या 1 सीमादेवी के 0.2530हैक्टर व वादीया संख्या 2 इन्द्रादेवी के 0.3035हैक्टर भूमि दर्ज है तथा रोही मौजा 4 बारानी के खाता संख्या 102/82 के कुल 15.1750हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश 0.253 , प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र के 0.05059हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.253हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त दोनो खातों की भूमि चिपते हुए है तथा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 102/82 के कुल 15.1750हैक्टर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के 0.2530हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र ने 0.05059हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.253हैक्टर के स्थान पर वादीया न0 1 की 0.253हैक्टर भूमि व वादीया न0 2 की 0.3035हैक्टर भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 140/138 के कुल 4.8050हैक्टर भूमि में से वादीया संख्या 1 सीमादेवी के 0.2530हैक्टर व वादीया संख्या 2 इन्द्रादेवी के 0. 3035हैक्टर के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के 0.253हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 के 0.05059हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.2530हैक्टर भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है लेकिन वादीयान व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि उनके नाम से दर्ज नहीं है इसलिये वादीयान जरिये बाहमी बटवारा मुताबिक कब्जा काश्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की धोषणा न्यायालय से करवा पाने के अधिकारी है

वादीयान ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 140/138 के कुल 4.8050हैक्टर भूमि में से वादीया संख्या 1 सीमादेवी 0.2530हैक्टर व वादीया संख्या 2 इन्द्रादेवी 0.3035हैक्टर भूमि के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.2530हैक्टर प्रतिवादी संख्या 2 के 0.05059हैक्टर व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.2530हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे तथा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 102/82

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

के कुल 15.1750 हैक्टार भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के 0.2530 हैक्टार प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्रके 0.05059 हैक्टार हिस्सा में से व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.2530 हैक्टार भूमि के स्थान पर वादीया न0 1 की 0.2530 हैक्टार भूमि व वादीया संख्या 2 की 0.3035 हैक्टार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की बाहमी बटवारा वादी के वाद के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है ईकबाल दावा तर्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 4 पेशेकार राज ने जवाब पेश किया की राजस्व रिकार्ड की हद तक वादी का वाद स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार करते हुए वादी के वाद को खारिज किया जाना अंकित किया गया। जवाब शामिल मिसल किया गया प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।


वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 140/138 के कुल खसरा 24 की 4.8050 हैक्टार भूमि में से वादीया संख्या 1 सीमादेवी के 0.2530 हैक्टार व वादीया संख्या 2 इन्द्रादेवी के 0.3035 हैक्टार भूमि दर्ज है तथा रोही मौजा 4 बारानी के खाता संख्या 102/82 के कुल 15.1750 हैक्टार भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश 0.253 , प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र के 0.05059 हैक्टार व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.253 हैक्टार भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त दोनो खातों की भूमि चिपते हुए है तथा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 102/82 के कुल 15.1750 हैक्टार भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के 0.2530 हैक्टार व प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र ने 0.05059 हैक्टार व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.253 हैक्टार के स्थान पर वादीया न0 1 की 0.253 हैक्टार भूमि व वादीया न0 2 की 0.3035 हैक्टार भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 140/138 के कुल 4.8050 हैक्टार भूमि में से वादीया संख्या 1 सीमादेवी के 0.2530 हैक्टार व वादीया संख्या 2 इन्द्रादेवी के 0.3035 हैक्टार के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के 0.253 हैक्टार प्रतिवादी संख्या 2 के 0.05059 हैक्टार व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.2530 हैक्टार भूमि कब्जा काश्त में चली आ रही है लेकिन वादीयान व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि उनके नाम से दर्ज नहीं है इसलिये वादीयान जरिये बाहमी बटवारा मुताबिक कब्जा काश्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की धोषणा न्यायालय से करवा पाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 140/138 के कुल खसरा 24 की 4.8050 हैक्टार भूमि में से वादीया संख्या 1 सीमादेवी के 0.2530 हैक्टार व वादीया संख्या 2 इन्द्रादेवी के 0.3035 हैक्टार भूमि दर्ज है तथा रोही मौजा 4 बारानी के खाता संख्या 102/82 के कुल 15.1750 हैक्टार भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश 0.253 , प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र के 0.05059 हैक्टार व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.253 हैक्टार भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीयान का कथन है उनका प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज भूमि में से वादीया न0 1 की 0.253 हैक्टार भूमि व वादीया न0 2 की 0.3035 हैक्टार भूमि कब्जा काश्त में है एवं प्रतिवादीगण

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

संख्या 1 ता 3 का वादीयान के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के 0.2530हैव प्रतिवादी संख्या 2 के 0.05059हैव व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.2530हैव भूमि कब्जा काशत में चली आ रही है जो बाहमी बटवारा के अनुसार कब्जा काशत में है वादीगण एवं प्रतिवादीगण के आपसी सहमति से हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया जाकर ईकवाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 140/138 के कुल 4.8050हैव भूमि में से वादीया संख्या 1 सीमादेवी 0.2530हैव व वादीया संख्या 2 इन्द्रादेवी 0.3035हैव भूमि के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.2530हैव प्रतिवादी संख्या 2 के 0.05059हैव व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.2530हैव भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे तथा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 102/82 के कुल 15.1750हैव भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 औमप्रकाश के 0.2530हैव प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्रके 0.05059 हैव हिस्सा में से व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.2530हैव भूमि के स्थान पर वादीया न0 1 की 0.2530हैव भूमि व वादीया संख्या 2 की 0.3035हैव भूमि का खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबा दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर (हनुमानगढ़)  
बाहर

सत्यमेव जयते

## पर्या डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 जादा दिवाणी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. सीमादेवी पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी जनानीया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. इन्द्रादेवी पत्नी सुरतसिंह जाति जाट निवासी जनानीया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीयान

बनाम

1. ओमप्रकाश 2 राजेन्द्र 3. हरिसिंह पि0 सुरजाराम जाति जाट साकिन जनानिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
- 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 650 सन 2020 निर्णय दिनांक- 28/12/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 140/138 के कुल 4.8050हैक भूमि में से वादीया संख्या 1 सीमादेवी 0.2530हैक व वादीया संख्या 2 इन्द्रादेवी 0.3035हैक भूमि के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.2530हैक प्रतिवादी संख्या 2 के 0.05059हैक व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.2530हैक भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे तथा रोही मौजा चक 4 बारानी के खाता संख्या 102/82 के कुल 15.1750हैक भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 ओमप्रकाश के 0.2530हैक प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्रके 0.05059 हैक हिस्सा में से व प्रतिवादी संख्या 3 के 0.2530हैक भूमि के स्थान पर वादीया न0 1 की 0.2530हैक भूमि व वादीया संख्या 2 की 0.3035हैक भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्या डिक्री आज दिनांक 28/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )